

आयुक्त, राज्य कर
छत्तीसगढ़, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, तारीख 21 अगस्त, 2017

क्रमांक/सीजीएसटी/01/2017(06) - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना क्रमांक 5 तारीख 17 अगस्त 2017 में, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-

(i) सारणी में,--

(क) क्रम सं0 1 के स्तंभ (3) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) की मद (i) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) की मद (iii) में, "21 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "26 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) क्रम सं0 3 के स्तंभ (3) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 2 में, स्पष्टीकरण के पहले आने वाले "धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार," शब्दों और अंकों के पश्चात्, "25 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व," अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 21 अगस्त, 2017 से प्रभावशील मानी जाएगी ।



(सगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

**Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur**

Notification

Raipur, dated 21.08.2017

No./CGST/01/2017 (00) - In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of Rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, on the recommendations of the Council, Notification No. 5 dated 17.08.2017 is hereby amended as following , namely: -

- (i) in the table,
- (a) in Sl. No. 1, in column (3), for the figures, letters and word “20th August, 2017”, the figures, letters and word “25th August, 2017” shall be substituted;
- (b) in Sl. No. 2, in column (4), in item (i), for the figures, letters and word “20th August, 2017”, the figures, letters and word “25th August, 2017” shall be substituted;
- (c) in Sl. No. 2, in column (4), in item (iii), for the figures, letters and words “21st day of August, 2017”, the figures, letters and words “26th day of August, 2017” shall be substituted;
- (d) in Sl. No. 3, in column (3), for the figures, letters and word “20th August, 2017”, the figures, letters and word “25th August, 2017” shall be substituted;
- (ii) in paragraph 2, after the words “electronic credit ledger” occurring before the Explanation, the words, figures and letters “on or before 25th August, 2017” shall be inserted.

2. This notification will be deemed effective August 21, 2017.



(Sangeetha P.)
Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur